न्यायालय :– प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश राजगढ के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश राजगढ़ (ब्यावरा) म.प्र.

फाइलिंग नंबर– बीए/1598/2026
सी.एन.आर. नंबर– एम.पी.39010017842026
सी.आई.एस. रजि0नं0– 303/2026

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा आपराधिक अपील क्रमांक–825/26 (एस.एल.पी. (आप.) क्रमांक–12669/25 से उद्भूत) **जेबा खाना विरूद्ध उ0प्र0 राज्य एवं अन्य** निर्णय दिनांक 11/02/26 में दिये गये निर्देशानुसार अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जानकारी निम्नवत है (कृपया देखें :– माननीय म0प्र0 उच्च न्यायालय जबलपुर का ज्ञापन क्रमांक–B/2011/III-6-4/57/III-1-5/57 Ch-10, दिनांक-10/03/26) :–

क– प्रकरण का विवरण :–

घटना दिनांक, प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांक एवं दिनांक	थाना, जिला एवं राज्य	धारा	अधिकतम विहित दण्डादेश
14.05.2026	राजगढ़	धारा 305(a), 331(3), 317(2) बी.एन.एस.	10 वर्ष
312/2026	राजगढ		
19.05.2026	मध्यप्रदेश		

ख– निरोध एवं प्रक्रियात्मक अनुपालन :–

बंदी बनाये जाने की तिथि	निरोध की अवधि
26.05.2026	13 दिवस

ग– विचारण की स्थिति :–

कार्यवाही का चरण (विवेचनाधीन/अभियोग पत्र प्रस्तुत/संज्ञान/आरोप की विरचना/विचारण)	अभियोग प्रस्तुति का दिनांक एवं प्रकरण क्रमांक–	अभियोग पत्र में अभिकथित किये गये साक्षियों की पूर्ण संख्या	परीक्षित अभियोजन साक्षियों की संख्या
विवेचनाधीन	– निरंक –	– निरंक –	– निरंक –

घ– पूर्व आपराधिक इतिहास :–

क.	अपराध क्रमांक	धारा	थाना	जिला	स्थिति लंबित/दोषसिद्ध/दोषमुक्त
निरंक					

च– वर्तमान प्रतिभूति आवेदन की क्रम संख्या :–

प्रथम

छ– पूर्व में प्रस्तुत प्रतिभूति आवेदन :–

न्यायालय	प्रकरण कमांक	परिणाम
सी.जे.एम. राजगढ़	------	निरस्त दिनांक 02.06.2026

ज– बलपूर्वात्मक या दबावपूर्ण कार्यवाही (Coercive process) :–

क्या कोई अप्रतिभूति योग्य अधिपत्र जारी हुआ था ?	क्या उद्घोषित अपराधी घोषित किया गया है ?
– निरंक –	– निरंक –

बाबू खां उर्फ बब्बू खां पिता अहमद नूर आयु 58 वर्ष
निवासी– सारंगपुर, जिला राजगढ़ म.प्र.
—— आवेदक/आरोपी

विरूद्ध

राज्य द्वारा पुलिस थाना राजगढ़
जिला राजगढ म0प्र0 –अनावेदक/अभियोजन

———————————————————————————

(प्रतिलिपि आदेश दिनांक 08.06.2026)

यह जमानत आवेदन पत्र माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय राजगढ़ के न्यायालय से अंतरण पर प्राप्त।

आवेदक/अभियुक्त बाबू खां उर्फ बब्बू खां **(जिसे अब आगे केवल "आवेदक" के नाम से संबोधित किया जावेगा)** की ओर से श्री एच.बी. व्यास अधिवक्ता।

राज्य द्वारा लोक अभियोजक उपस्थित।

आवेदक के नियमित जमानत आवेदन पत्र के संबध में आरक्षी केन्द्र कोतवाली राजगढ़ के अपराध क. **312/2026** अंतर्गत धारा 305(ए), 331(3), 317(2) बी.एन.एस. (जिसे अत्र पश्चात 'संहिता' के नाम से संबोधित किया जायेगा) की केस डायरी मय पुलिस प्रतिवेदन प्राप्त।

आवेदक के मुख्तियार मंसूरी पिता नन्नू खां ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के समर्थन में अपना शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुए यह उद्घोषित किया है कि प्रस्तुत प्रश्नाधीन आवेदन अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 आवेदक की ओर से प्रस्तुत प्रथम प्रतिभूति आवेदन पत्र है।

प्रस्तुत प्रश्नाधीन आवेदन धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 में आवेदक द्वारा यह निवेदन किया गया है कि आवेदक पर आरोपित अपराध आजीवन कारावास एवं मृत्युदण्ड से दण्डनीय नहीं है। आवेदक के विरूद्ध कोई साक्ष्य नहीं है उसको उक्त अपराध में झूंठा फंसाया गया है। प्रकरण के निराकरण में समय लगना स्वाभाविक है। अतः इन परिस्थितियों में आवेदक को जमानत का लाभ दिया जावे।

अभियोजन के अनुसार जिला न्यायालय राजगढ़ में पदस्थ

प्रशासनिक अधिकारी के रामलीला कॉलोनी स्थित शासकीय आवास में लगे चंदन के पेड़ को कोई व्यक्ति दिनांक 14.05.2026 से 15.05.2026 की मध्य रात्रि काटकर चुरा ले गया। प्रशासनिक श्री शैलेन्द्र जोशी की रिपोर्ट पर थाना कोतवाली राजगढ़ में अपराध क्र0 312/26 पंजीबद्ध किया गया। अनुसंधान के दौरान अपराध क्र 311/2026 में अनुसंधान के साथ–साथ इस प्रकरण के अनुसंधान के दौरान आवेदक से पूछताछ की गई एवं चंदन की लकड़ी जप्त की गई।

प्रस्तुत प्रश्नाधीन आवेदन अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 पर आवेदक तथा अभियोजन को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।

आवेदक वह व्यक्ति है जो शाकिर एवं मुबारिक को चंदन के पेड़ काटकर लाने को कहता था और जब वे ऐसा करते थे तब ऐसे पेड़ों को वह खरीदता था। चोरी का सामान खरीदने वाले व्यक्ति ही चोरों को खुला बाजार उपलब्ध करा देते हैं जिसके फलस्वरूप ही चोर चोरी करते हैं। ऐसा ही आवेदक ने किया जिसके फलस्वरूप हरे जीवनदायी चंदन के वृक्षों को उसके सहअभियुक्त शाकिर एवं मुबारिक ने काटा जिन्हें उसने खरीदा। आवेदक जैसे व्यक्तियों को यदि प्रतिभूति का लाभ दिया जाता है तो वह दिन दूर नहीं होगा जब लोगों के चार दीवारी के अंदर लगे चंदन के वृक्ष ही नहीं बचेंगे। अतः आवेदक के कृत्य को देखते हुए उसे प्रतिभूति का लाभ दिया जाना कतई उचित नहीं है परिणामतः आवेदक **बाबू खां उर्फ बब्बू खां** द्वारा प्रस्तुत प्रश्नाधीन आवेदन अंतर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस. **निरस्त** किया जाता है।

आदेश की एक प्रति आवेदक को निःशुल्क प्रदान की जावे।

आदेश की प्रति सहित केस डायरी वापस की जावे।

प्रकरण का परिणाम अंकित कर आभिलेखागार में निक्षिप्त किये जाने योग्य अभिलेख विहित समयावधि में निक्षिप्त किये जावे।

सही/–

(उपेन्द्र प्रताप सिंह)

प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश राजगढ

के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश

राजगढ़ (ब्यावरा) म.प्र.